

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- रानोठ

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

116/18

रजू दिनांक

11.05.2018

निर्णय दिनांक

30.05.2018

अनुवांन

1. चेताराम पुत्र हीरा
2. कुलदीप
3. दीपक पुत्रान देशराम
4. सुनिल कुमार
5. मनोज पुत्रान सूरजभान
6. गुलाब पुत्र हीरा जातियान जाट निवासीयान रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर।


:-वादीगण

बनाम

1. बस्तीराम
2. दीनदयाल
3. रोहिताश्व
4. अतरसिंह पुत्रान हेतराम जातियान जाट निवासीयान रानोठ तहसील मुण्डावर
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
6. उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।
7. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ततारपुर जिला अलवर राज0।

:-प्रतिवादीगण

दावा-इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
वो हु0 ई0 दवामी  
अन्तर्गत धारा-88, 89 व 188  
राज0 काश्त0 अधि0 1955

  
उपखण्डाधिकारी, मुण्डावर  
(अलवर) राज0


—:पर्चा डिक्री:—

दिनांक:— 30.05.2018

वादीगण की ओर से वकील श्री सरजीत सिंह चौधरी एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और बरूवे राजीनामा डिक्री दी जाती है कि—

हाल ख0न0 65/0.49 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग की हद तक प्रतिवादीगण के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त 1/2 भाग के बाबत वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक ऋण राशि वसूली की स्थिति में प्रतिवादीगण को शेष रहे हिस्से अनुसार ही बैंक ऋण राशि वसूलनीय होगी एवं राजीनामा निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
30.05/18  
(महेश चन्द्र मान) अधिकारी, मुण्डावर  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)